बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 8/कृ0नि0यो0वि–36/2014 /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–15 में सब मिशन ऑन एग्रीक्लचरल मेकेनाईजेशन कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश 981.039 लाख (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ) रूपये मात्र एवं राज्यांश 327.013 लाख (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ) रूपये मात्र कुल–1308.052 लाख (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ) रूपये मात्र की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वैसे क्षेत्र जहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुलता है तथा प्रति हेक्टेयर कृषि शक्ति उपलब्धता की काफी कमी है, उसकों राष्ट्रीय औसत से अधिक लाने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में सब मिशन ऑन एग्रीक्लचरल मेकेनाईजेशन कार्यक्रम के तहत कस्टम हायरिंग की योजना एवं फलेक्सी फंड की योजना हेतु व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रांश 981.039 लाख (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ) रूपये मात्र एवं राज्यांश 327.013 लाख (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ) रूपये मात्र कुल–1308.052 लाख (तेरह करोड़ आठ लाख पाँच हजार दो सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्र में लघु एवं सीमांत कृषकों के हित में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना। कृषि यंत्र का मूल्य अधिक होने एवं जोत का आकार छोटा होने के कारण कस्टम हायरिंग सेन्टर को बढ़ावा देना। प्रत्यक्षण एवं क्षमता वर्द्धन द्वारा हितधारकों के बीच जागरूकता लाना। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के फलस्वरूप किसान उचित समय पर शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यह योजना वर्ष 2014–15 में लागू की जायेगी। इस योजना में भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका प्राप्त है। यह नई योजना है।

सब मिशन ऑन एग्रीक्लचरल मेकेनाईजेशन योजना के घटक–4 अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना एवं कार्यान्वयन जीविका के ग्राम संगठन/कलस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इन्ट्रेस्ट ग्रूप (FIG), नवार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब/स्वयं सहायता समूह/पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से कराया जाना है। जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। कार्यान्वयन अनुदेश में मशीनों का कस्टम हायरिंग दर का उल्लेख कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है जो अनुसूची–1 पर संलग्न है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 पर संलग्न है।

3. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि सहायक अनुदान के रूप में बिहार कृषि प्रबंधन–सह–प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) को विमुक्त की जायेगी। बामेति द्वारा जिला स्तरीय आत्मा को राशि विमुक्त की जायेगी। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लए जिम्मेवार होगें। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना

द्वारा सचिवालय कोषागार पटना से बामेति के पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर बी0टी0सी0–42 पर की जायेगी। बामेति द्वारा कृषि निदेशक, के परामर्श से जिलों को राशि विमुक्त की जायेगी।

4. बिहार कृषि प्रबंधन–सह–प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

5. निकासी के लिए स्वीकृत 981.039 लाख (नौ करोड़ एकासी लाख तीन हजार नौ सौ) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीष 00 लघु शीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष 0217–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्राधौगिकी मिशन विपत्र कोड–P2401001090217 मांग संख्या–01 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014–15 के उपबंधित राशि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाईजेंशन अन्तर्गत 12543.00 लाख (एक अरब पच्चीस करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये मात्र से एवं राज्यांश 327.013 लाख (तीन करोड़ सताइस लाख एक हजार तीन सौ) रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीष–0317–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्राधौगिकी मिशन विपत्र कोड–P2401001090317 मांग संख्या–01 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014–15 के बजट में उपबंधित राशि 4500.00 लाख (पैतालीस करोड़) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96वि0(2) दिनांक 03.01.2008 मे निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

7 . मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 18.02.2015 को प्राप्त है। तत्संम्बधी स्वीकृति संचिका संख्या–8/कृ0 नि0 यो0 वि0 –36/14 के पृष्ठ संख्या 64/टि0 पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0(2) दिनांक 05.01.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या 8/कृ0नि0यो0वि0–36/14 के पृष्ठ संख्या ...69......./टि0पर दिनांक.16.03.15को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रभु राम)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1494 /कृ0, पटना, दिनांक 24-3-2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3/15

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

प्रारूप

कस्टम हायरिंग के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना

कार्यान्वयन अनुदेश वर्ष 2014–15

बिहार राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की बहुलता है उनके बीच आज भी उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि कार्यों में बहुत कम किया जा रहा है। वैसे क्षेत्र जहाँ कृषक जानकारी एवं अर्थ के अभाव में कृषि यंत्र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उन क्षेत्रों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक क्षेत्रों में कृषि यांत्रिकरण का विस्तार हो सके।

1. **उद्देश्य :–**

(i) कम फार्म पॉवर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यांत्रिकरण को बढ़ावा देना।
(ii) किराया पर विभिन्न कृषि यंत्रां को चलाने की सेवा उपलब्ध कराना।
(iii) मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बटाइदारों तक यांत्रिकरण का विस्तार करना।
(iv) मशीनों के कस्टम हायरिंग के क्रियान्वयन में निर्माता/कृषि विज्ञान केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
(v) उन्नत एवं नये रूप से विकसित कृषि यंत्रों का समावेश।

2. **कस्टम हायरिंग केन्द्र का कार्यक्षेत्र एवं संरचना**

(i) चिन्हित जिलों/प्रखंडों में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
(ii) कम फार्म पॉवर उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों बटाइदारों के अधिकता वाले क्षेत्रों को सम्मलित किया जायेगा।
(iii) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के पास कम से कम 10 हेक्टेयर प्रतिदिन एवं कम से कम 300 हेक्टेयर प्रति मौसम अच्छादित करने की क्षमता हो।
(iv) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना फसल आधारित, मूल्य आधारित एवं कलस्टर आधारित होगी।
(v) कस्टम हायरिंग केन्द्र के पास छोटे–छोटे फसल आधारित एवं स्थान विशेष के आवश्यकतानुसार, छोटे एवं सीमान्त होल्डींग में क्रियान्वित होने वाले कृषि यंत्र उपकरण होना चाहिए।
(vi) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना में गाँव/शहर के चयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
(क) फार्म पावर उपलब्धता का न्यूनतम अनुपात
(ख) उपलब्ध ट्रैक्टर की संख्या
(ग) लघु एवं सीमान्त होल्डींग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या
(घ) खाद्यानों की कम उत्पादकता का होना जबकि उत्पादकता बढने की सम्भावना हों
(ड़) एक पंचायत में एक ही कस्टम हायरिंग कन्द्र की स्थापना किया जायेगा। यदि पूर्व में किसी भी योजना से किसी पंचायत में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित है तो वहाँ नए कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित नहीं किए जायेंगे। जब सभी पंचायत अच्छादित हो जायेंगे तब दोबारा अच्छादन हो सकता है।
(vii) जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला परियोजना पदाधिकारी (DPO) जीविका/परियोजना निदेशक (आत्मा) उपरोक्त मापदंड के अनुसार ग्राम संगठन/CLF/ आत्मा से संबद्ध FIG (Farmers Interest Group)/NABARD, राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब/स्वंय सहायता समूह (SHG) /पैक्स/व्यापार मंडल का चयन कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु करेंगे।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

957

3. कार्यान्वयन एजेन्सी

जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

4. कार्यक्रम :–

कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना एवं उसे क्रियान्वित किया जाना।

5. लक्ष्य :–

(i) जिले का भौतिक लक्ष्य जिले में प्रखंडों की संख्या के बराबर होगा।

(ii)यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75% एवं 25% के अनुपात में वित्त पोषित है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 12.00 करोड़ (केन्द्राश रू० 9.00 करोड़ तथा राज्यांश रू० 3.00 करोड़), का वित्तीय लक्ष्य है जिससे राज्य के सभी प्रखंडो से प्रति प्रखंड एक यंत्र बैंक की स्थापना हेतु पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर कुल 300 प्रखंडो में रू० 10 लाख की लागत से स्थापित कृषि यंत्र बैंक को प्रति यंत्र बैंक 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है।

6. फार्म पावर उपलब्धता की गणना

फार्म पावर उपलब्धता की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जायेगा।

FORMULA TO CALCULATE FARM POWER AVAILABILITY (kw/ha)	
kw/ ha =	(Number of agricultural Worker x 0.05+ Number of draught animal x 0.38 + Number of Tractors x 26.1+ Number of Power tillers x 5.6 + Number of electric motor x 3.7 + Number of diesel engine x 5.6) ÷ Available cultivated land in ha

7. आवेदन की प्रक्रिया

जीविका के ग्राम संगठन/आत्मा से संबद्ध फार्मर्स इन्टरेस्ट ग्रूप (F.I.G) / NABARD राष्ट्रीयकृत बैंक से संवद्ध किसान क्लब/स्वंय सहायता समूह (SHG) /पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अनुसूचि–I में दिए गए प्रारूप में कृषि विभाग के वेवसाइट www.krishi.bih.nic.in पर Online आवेदन किया जायेगा। आवेदक समूह को कम से कम 3 वर्षों तक लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

8. आवेदनों की स्क्रूटनी:–

Online प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी निम्नलिखित मापदंड के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

स्क्रूटनी के बाद जिला कृषि पदाधिकारी लक्ष्य के 150 प्रतिशत SHG's/VO's/FIG /किसान क्लव की प्राथमिकता सूची विवरण सहित तैयार करेंगे।

	मापदंड	अहर्त्ता	वेटेज अंक
(i)	SHG कितने वर्षो से अस्तित्व में है।	3 वर्ष	25
(ii)	कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है।	रू० 10.00 लाख	25
(iii)	कृषि संबंधी क्रिया कलाप में कार्यरत है।	3 वर्ष	25
(iv)	समूह का सफल संचालन हो रहा है।	3 वर्ष	25
		कुल	100

[signature]

9. आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा Online प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थलीय जाँच/पात्रता की जाँच कराने के उपरान्त जिला स्तरीय कार्यपालक समिति (DLEC) के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव रखा जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात समूह के सभी सदस्यों को परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालन, यंत्रों के रख–रखाव, मरम्मति" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रशिक्षित कराया जायेगा।

10. कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु गाँवों/पंचायतों का चयन

कस्टम हायरिंग हेतु आवेदकों के चयन की अनुशंसा जिला कृषि पदाधिकारी एवं DPO, जीविका/परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा संयुक्त रूप से कंडिका (2) (VI) के शर्त्तों के अनुसार किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदकों का विवरण Online Software में प्रवृष्ट कराया जायेगा।

11. कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु कृषि यंत्रों की चयन प्रक्रिया

(A) 10 लाख तक प्रति यंत्र बैंक में यंत्रों का चयन

₹ 10.00 लाख तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार अनुसूची–4 दिए गए मॉडलों में से कोई एक मॉडल में अंकित यंत्रों का क्रय किये जा सकेंगे।

(B) मशीनों की क्षमता फसल सिजन में आच्छादित क्षेत्रफल के अनुसार रखी जायेगी।

12. कृषि यंत्रों का क्रय

मशीनों की अधिप्राप्ति कृषि निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं/बितरकों से की जायेगी। लाभुक आवेदक उक्त सूची से अपनी पसन्द अनुसार किसी भी ब्राण्ड की मशीन लेने के लिंए स्वतंत्र है तथापि कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना में वित्तीय सहायता हेतु केवल वही यंत्र वैध होंगे जो FMTTI's अथवा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थानों से परीक्षित एवं प्रमाणित होंगे।

13. यंत्र क्रय की प्रक्रिया

यंत्र क्रय करने के उपरान्त आवेदक द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर यंत्रों के मेक/मोडल/गुणवत्ता आदि की स्थलीय जाँच करा कर RTGS द्वारा संबंधित आवेदक के ऋण खाता/खाता के माध्यम से अनुदान विमुक्त किया जायेगा।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

455

14. वित्तीय सहायता

(i) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों के स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) यंत्र बैंक का कोई भी कृषि यंत्र छः वर्ष से पहले स्थानान्तरित/बिक्री/गिरवी नहीं रखा जायेगा।

15. कृषि यंत्र बैंक का बीमा

कृषि यंत्र बैंक हेतु क्रय किए गए मशीनों/उपकरणों का बीमा कराना अनिवार्य होगा। बीमा हो जाने के बाद ही अनुदान की राशि विमुक्त की जायेगी।

16. कृषि यंत्र बैंक का संचालन

अनुदान की राशि प्राप्त हो जाने के बाद आवेदक समूह द्वारा कम से कम 3 वर्षों तक लगातार कृषि यंत्र बैंक का सफलतापूर्वक संचालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा समूह के सदस्यों से समानुपातिक अनुदान की राशि नियमानुसार वसूल की जायेगी।

17. कस्टम हायरिंग केन्द्र के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु

(i) यंत्र बैंक में यंत्रों के अधिप्राप्ति हेतु 40 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शेष 60 प्रतिशत राशि आवेदक समूह द्वारा वहन किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक समूह का स्थानीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता होगा, जिसका संचालन समूह के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(iii) प्रत्येक समूह में कोषाध्यक्ष इस योजना का अलग से आय–व्यय का लेखा-जोखा का संधारण करेंगे।

(iv) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिले में पदस्थापित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यंत्र बैंक के लेखा–जोखा का निरीक्षण किया जायेगा।

(v) कस्टम हायरिंग सेन्टर चलाने वाले समूहों द्वारा निम्नलिखित पंजी संधारित की जायेगी, जिसे पदाधिकारियों के निरीक्षण के क्रम में अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।:–

- (क) परिसंपत्ति पंजी
- (ख) कस्टम हायरिंग बूकिंग पंजी
- (ग) कस्टम हायरिंग बूकिंग रसीद
- (घ) रोकड़ पंजी
- (ड़) यंत्र मरम्मति पंजी
- (च) निरीक्षण पंजी

(vi) यंत्रों के रख–रखाव एवं आय–व्यय का ब्योरा संधारित करने में सहयोग हेतु एक ITI (मेकेनिकल) पास स्थानीय व्यक्ति को समूह मानदेय पर रख सकता है जिसके मानदेय का निर्धारण समूह के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया जा सकता है। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगा।

(vii) किसी भी परिस्थिति में उक्त मानदेय का दावा सरकार से नहीं किया जायेगा।

(viii) कस्टम हायरिंग से अर्जित राशि को समूह के संयुक्त खाते में नियमित रूप से जमा कराया जायेगा।

(ix) कस्टम हायरिंग से अर्जित राशि से समूह नये यंत्र का क्रय कर अपने कार्य क्षेत्र को विस्तारित कर सकता है।

(x) अनुसूची–6 के अनुसार कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा कस्टम हायरिंग का चार्ज किया जा सकता है।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

18. यंत्र हेतु राशि की उपलब्धता

CHC हेतु यंत्रों का क्रय बैंक ऋण/FIG/SHG / पैक्स / व्यापार मंडल के स्वंय की निधि से किया जायेगा।

19. यंत्रों का आफ्टर सेल सर्विस एवं स्पेयर पार्ट्स

लगभग सभी कृषि यंत्रों पर निर्माता / आपूर्तिकर्ता द्वारा कम से कम एक वर्ष की वारंटी तथा ऑफ्टर सेल सर्विस उपलब्ध करायी जाती है। वारंटी अवधि के बाद मंझोले एवं बड़े कृषि यंत्रों के कई निर्माता / कम्पनी Annual Maintenace Contact (AMC) की सुविधा उपलब्ध कराती है। CHC द्वारा वारंटी अवधि के बाद निर्माता / आपूर्तिकर्ता के साथ AMC किया जा सकता है। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बिहार, पटना Custom Hiring Centre (CHC) के Working Modul में निहित यंत्रों के निर्माता / आपूर्तिकर्त्ता के साथ बैठक कर स्पेयर पार्ट्स एवं ऑफ्टर सेल सर्विस का प्रभावी उपाय विकसित कर सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सीघ्र संसूचित करेंगे ताकि जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा CHC को जानकारी उपलब्ध कराया जा सकें।

20. अनुश्रवण

(i) कस्टम हायरींग हेतु स्थापित कृषि यंत्र बैंक द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र / सूचिबद्ध निर्माता / फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंण्ड टेस्टींग इस्टीच्यूट / मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं प्रमाणन संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से तकनीकी सहायता प्राप्त की जायेगी।

(ii) मिशन अन्तर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्र के क्रिया–कलाप का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कस्टम हायरिंग का दर छोटे एवं सीमान्त कृषकों के लिए यथोचित एवं उनके सामर्थ्य में है।

(iii) जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण के क्रम में यदि ऐसा पाया जाता है कि कस्टम हायरिंग केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका कारण पता किया जाऐगा तथा उसके निराकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी तथा प्रतिवेदन (अनुसूचि–3) में प्रत्येक माह कृषि निदेशक बिहार, पटना को भेजा जाएगा।

(iv) राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, (यांत्रिकरण) करेंगे।

21. मासिक प्रतिवेदन

(i) जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनुसूची–3 दिए गए प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार, पटना एवं संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)–सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, (यांत्रिकरण) बिहार, पटना को अचुक रूप से भेजेंगे।

(ii) CLF/ग्राम संगठन / FIG/SHG/किसान क्लब / पैक्स / व्यापार मंडल द्वारा CHC का अलग से लेखा (Account) संधारण कराया जायेगा तथा मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करया जायेगा।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

453

अनुसूची–I

आवदेन का प्रारूप

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी

....

विषय :– कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन।

पासपोर्ट साईज फोटो चिपका कर हस्ताक्षर कर स्वयं अभिप्रमाणित करें	पासपोर्ट साईज फोटो चिपका कर हस्ताक्षर कर स्वयं अभिप्रमाणित करें
सचिव	अध्यक्ष

महाशय,

हम कृषि विभागीय योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग हेतु यंत्र बैंक स्थापित करने के इच्छुक हैं। हमारा विवरण निम्नानुसार है।

1. स्वयं सहायता समूह / कृषक समूह का नाम एवं पता ....
....
2. संबद्धताः– जीविका / आत्मा / नवार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक / अन्य (......................) अंकित करें
3. समूह गठन की तिथि ....
4. कृषक समूह के सदस्यों का विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	कृषक का नाम	उम्र	श्रेणी SC/ST/सामान्य (लघु/सीमांत)	भूमि धारक / बटाइदार	आवासीय पता	मोबाईल नम्बर	धारित खेती योग्य भूमि का ब्योरा		
								खाता	खेसरा	रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. यंत्र बैंक स्थल का पता चौहदी सहित जहाँ यंत्र बैंक स्थापित किया जायेगा (आवेदक इस ग्राम का निवासी हो अथवा इसमें कृषि भूमि धारक / बटाइदार हो)।

....

ग्राम :– .... चौहदी– उत्तर
ग्राम पंचायत :– .... दक्षिण
प्रखंड :– .... पूर्व
जिला :– .... पश्चिम

5. यंत्र बैंक में रखे जाने वाले ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के Model का कोडः– A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9/A10/A11/A12
6. बैंक का विवरण जहाँ से ऋण प्राप्त करना चाहते है।

1	बैंक का नाम	
2	बैंक शाखा का पता	

नोट :– (आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उनका प्रकरण दर्शायी गई बैंक / शाखा के कार्यक्षेत्र में आता है। एक बैंक द्वारा प्रकरण वापसी किये जाने की स्थिति में दूसरे बैंक को प्रकरण प्रेषित करने अथवा न करने के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा)

7. पूर्व में प्राप्त ऋण का विवरण :–

क्र० सं०	कृषक समूह के सदस्यों का नाम	बैंक का नाम	प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया गया	राशि	वर्तमान बकाया राशि
1	2	3	4	5	6

8. उपलब्ध संसाधनों का विवरण (जैसे भूमि, शेड, कृषि योग्य भूमि आदि) :–

क्र०	कृषक समूह के सदस्यों का	संसाधन	विवरण

रवीन्द्र कुमार वर्मा

सं०	नाम		
1	2	3	4

//घोषणा//

हम ....अध्यक्ष................................कृषक समूह, पता....... .... एवं .... सचिव .... कृषक समूह, पता...................... ....घोषणा करते है कि योजना के नियम तथा शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य रहेंगे। हम बैंक ऋण अथवा स्वयं की निधि से मशीन क्रय करने में सक्षम हैं। आवेदन में दर्शाई गई समस्त जानकारियाँ हमारे ज्ञान एवं विवेक अनुसार सही है एवं हमारे द्वारा किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है।

स्थान ....

दिनांक .... हस्ताक्षर

(1) कृषक समूह के अध्यक्ष

(2) कृषक समूह के सचिव
मुहर /पता

संलग्न दस्तावेज (स्वयं द्वारा प्रमाणित) :–

1. फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति
2. समूह गठन संबंधी बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति (प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित)
3. समूह के अद्यतन बचत खाता की छाया प्रति।
4. कृषक समूह के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

95-1

अनुसूची–2

प्रखंड कृषि पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. कृषक समूह का नाम एवं पता ....

....

2. निरीक्षण की तिथि :–
3. समूह के गठन की तिथि ....
4. कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक स्थापना का स्थल का पता (चौहदी सहित) ..

....

5. संबंधित प्रखंड/गाँव में उपलब्ध फार्म पावर (Farm Power Availability)
   प्रखंड–..........KW/ha, गाँव–..........KW/ha
6. कृषक समूह में सदस्यों की संख्या ....
7. समूह का विवरणः–

मापदंड

(i) SHG कितने वर्षो से अस्तित्व में है।	[ ]	वर्ष
(ii) रू० 10 लाख की लागत से कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है।	हाँ	नहीं
(iii) समूह कृषि संबंधी क्रिया कलाप में लगातार कार्यरत है।	[ ]	वर्ष
(iv) समूह का सफल संचालन हो रहा है।	[ ]	वर्ष

उक्त आवेदन में वर्णित कृषकों के समूह का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। तदुपरान्त चयनित स्थल एवं समूह के सदस्यों के पात्रता की जाँच योजना के कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार की गयी। समूह के सभी सदस्यों के नाम पर कृषि योग्य भूमि/बटाइदार है। मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण के क्रम में सदस्यों के भूमि/बटाइदारी का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया गया है। कृषि यंत्र बैंक का स्थल उपयुक्त है/नहीं है।

इनकी पात्रता [ ] सही पायी गई/[ ] सही नहीं पायी गयी।

मैं Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु उपरोक्त कृषक स्वयं सहायता समूह के आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूँ।

रवीन्द्र कुमार वर्मा

प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर/नाम
एवं पदनाम

अनुसूची–3
SMAM योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना

	जिला का नाम :–				माह :– 2014–15			
क्र० सं०	जिले का लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	कृषि यंत्र बैंक का नाम	कस्टम हायरिंग केन्द्र की लागत	कार्यर/ अकार्यरत	अकार्यरत होने का कारण	जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जिला कृषि पदाधिकारी

रवीन्द्र कुमार वर्मा

445

अनुसूचि–4

Models of enterprise having maximum permissible project cost – Rs. 10.0 lakhs
Main crop - Rice-wheat-mung

Model – A1 (with tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Tractor	1	5.500
2.	Rotavator	1	1.050
3.	Drum seeder	1	0.075
4.	Paddy thresher	1	1.500
5.	Wheat thresher	1	1.350
6.	Zero till seed-cum-fertilizer drill	1	0.500
7.	Rocker Sprayer	1	0.040
	Total	**7**	**10.015**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Model – A2 (with tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Tractor	1	5.500
2.	Rotavator	1	1.050
3.	Tractor drawn reaper	1	0.600
4.	Wheat thresher	1	1.350
5.	Paddy thresher	1	1.500
	Total	**5**	**10.000**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Model – A3 (with tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Tractor	1	5.500
2.	Roto-cultivator	1	0.550
3.	Tractor trailer	1	1.100
4.	Wheat thresher	1	1.350
5.	Paddy thresher	1	1.500
	Total	5	10.000

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Model – A4 (with tractor as power source)			
Project cost	**Rs. 10.0 lakh**		
S. No.	**List of machines/ implements**	**No. of Machine/Implimnets**	**Estimated cost in lakh**
1.	Tractor	1	5.500
2.	Paddy thresher	1	1.500
3.	Roto-cultivator	1	0.550
4.	Paddy transplanter	1	2.300
5.	Mist Blower Cum Duster	1	0.075
6	Drum seeder	1	0.075
7	Knapsack Sprayer	1	0.015
	Total		**10.010**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

रवीन्द्र कुमार वर्मा

Model – A5 (with tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Tractor	1	5.500
2.	Rotavator	1	1.050
3.	Paddy transplanter	1	2.300
4.	Self propelled reaper	1	1.000
5.	Wire loop type thresher (6 feet)	1	0.150
	Total	**5**	**10.000**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Model – A6 (Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	**Rs. 10.0 lakh**		
Main crop	**Rice-wheat-mung (More area under wheat)**		
S. No.	**List of machines/ implements**	**No. of Machine/Implimnets**	**Estimated cost in lakh**
1.	Rotavator	1	1.050
2.	MB plough/ disc plough	1	0.400
3.	Pumping set	1	0.250
4.	Reaper-cum-binder (S/p)	1	3.600
5.	Wheat thresher	1	1.350
6.	Paddy thresher	1	1.500
7.	Zero till Seed-cum-fertilizer drill	1	0.500
8.	Tractor trailer	1	1.100
9.	Power paddy weeder	1	0.300
	Total	**9**	**10.050**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

रवीन्द्र कुमार वर्मा

Model – A7 (Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
Main crop	Rice-wheat-mung (More area under paddy)		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Roto-cultivator	1	0.550
2.	MB plough/ disc plough	1	0.400
3.	Pumping set	1	0.250
4.	Self propelled reaper	1	1.000
5.	Paddy transplanter	1	2.300
6.	Wheat thresher	1	1.350
7.	Paddy thresher	1	1.500
8.	Zero till Seed-cum-fertilizer drill	1	0.500
9.	Power sprayer	1	0.100
10.	Power paddy weeder	1	0.300
11.	Tractor trailer	1	1.100
12.	Tractor operated paddy seed drill	1	0.600
13.	Rocker Sprayer	1	0.04
	Total	**13**	**9.990**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Main crop - Rice-potato

Model – A8 (with tractor as power source)			
Project cost	**Rs. 10.0 lakh**		
S. No.	**List of machines/ implements**	**No. of Machine/Implimnets**	**Estimated cost in lakh**
1.	Tractor	1	5.500
2.	MB plough/ disc plough	1	0.400
3.	Rotavator	1	1.050
4.	Potato planter	1	0.600
5.	Paddy transplanter	1	2.300
6.	Battery operated Knapsack sprayer	1	0.040
7.	Drum seeder	1	0.075
8.	Rocker Sprayer	1	0.04
	Total	8	**10.005**

रवीन्द्र कुमार वर्मा

445

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Model – A9(Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Roto-cultivator	1	0.550
2.	MB plough/ disc plough	1	0.400
3.	Cultivator 11 type	1	0.28
4.	Self propelled reaper	1	1.000
5.	Paddy thresher	1	1.500
6.	Potato planter	1	0.600
7.	Potato digger	1	0.750
8.	Paddy transplanter	1	2.300
9.	Power sprayer	1	0.100
10.	Power paddy weeder	1	0.300
11.	Pumping set	1	0.250
12.	Scrapper leveler	1	0.120
13.	Tractor drawn paddy seed drill	1	0.700
14.	Paddy drum seeder	1	0.075
15.	Tractor trailer	1	1.100
	Total	**15**	**10.025**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Main crop :- Rice-Rabi maize-potato

रवीन्द्र कुमार वर्मा

Model – A10(Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	Rotavator	1	1.050
2.	MB plough/ disc plough	1	0.400
3.	Scrapper leveler	1	0.120
4.	Bed former-cum-Reshaper	1	0.300
5.	Dibbler manually operated	1	0.020
6.	Improved manually operated Weeder	1	0.020
7.	Maize planter	1	0.45
8.	Maize thresher	1	0.500
9.	Self propelled reaper	1	1.000
10.	Pumping set	1	0.250
11.	Drum seeder	1	0.075
12.	Potato planter	1	0.600
13.	Paddy transplanter	1	2.300
14.	Paddy thresher	1	1.500
15.	Potato digger	1	0.750
16.	Tractor drawn paddy seed drill	1	0.700
	Total	**16**	**10.035**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

Main crop :- Area having main crop sugarcane-paddy – wheat

Model – A11 (Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	**Rs. 10.0 lakh**		
S. No.	**List of machines/ implements**	**No. of Machine/Implimnets**	**Estimated cost in lakh**
1.	Cultivator	1	0.230
2.	Rotavator	1	1.050
3.	Reaper-cum-binder	1	3.600
4.	Ridger	1	0.180
5.	Sugarcane cutter planter	1	1.400
6.	Power weeder with spraying attachment	1	0.700
7.	Paddy thresher	1	1.500
8.	Wheat thresher	1	1.350
	Total	8	**10.010**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

रवीन्द्र कुमार वर्मा

443

Main crop :- Wheat-Kharif maize

Model – A12 (Tractor not included) (One of the members of bank must have tractor as power source)			
Project cost	Rs. 10.0 lakh		
S. No.	List of machines/ implements	No. of Machine/Implimnets	Estimated cost in lakh
1.	M B Plough	1	0.400
2.	Roto-cultivator	1	0.550
3.	Zero till seed-cum-fertilizer drill	1	0.500
4.	Reaper-cum-binder	1	3.600
5.	Wheat thresher	1	1.350
6.	Maize dehusker-cum-sheller	1	1.150
7.	Pumping set	1	0.250
8.	Seed-cum-fertilizer Dibbler	1	0.022
9.	Bed former-cum-Reshaper	1	0.300
10.	Maize planter	1	0.500
11.	Maize thresher	1	0.500
12.	Power weeder	1	0.700
13.	Battery operated Knapsack sprayer	1	0.040
14.	Foot Sprayer	1	0.040
15.	Scrapper leveler	1	0.120
	Total	15	**10.022**

Note : The price of machines are the estimated values and may differ slightly.

रवीन्द्र कुमार वर्मा

अनुसूची–5

कृषक समूह के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शपथ प्रत्र का प्रारूप

हम ....पिता ....पता ....अध्यक्ष............. (कृषक समूह का नाम)........... .... एवं .... पिता .... सचिव.... .... कृषक समूह का नाम ....संयुक्त रूप से शपथ लेते है कि –

1. आवंटित किए गए कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना आवेदित ग्राम में ही करेंगे।
2. हम वर्तमान में किसी भी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत नहीं है तथा हमारे द्वारा किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गयी है।
3. योजना अन्तर्गत क्रय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र कृषकों को उनके कृषि कार्य हेतु किराए पर उपलब्ध करायेंगे। कृषि के मौसम में उन यंत्रों का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतु किया जायेगा।
4. क्रय किए गए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के बीमा, पंजीयन, संचालन, सुरक्षा संबंधी मापदण्डों आदि के लिए निर्धारित शासकीय नियमों/निदेशों का पालन करूंगा/करूंगी।
5. समय–समय पर कस्टम हायरिंग केन्द्र एवं संधारित पंजियों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/अभियंताओं द्वारा किए जाने हेतु मैं सहयोग करूँगा/करूँगी तथा माँगे जाने पर केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की प्रगति समय–समय पर उपलब्ध कराउँगा/कराउँगी।
6. हमारा समूह विगत 3 वर्षों से लगातार कार्यरत है।
7. हमारा समूह कस्टम हायरिंग हेतु यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है।
8. हमारा समूह कृषि विकास संबंधी कार्यों में संलग्न है एवं कृषि संबंधी कार्यों के रूचि रखता है।
9. सरकारी सहायता से क्रय किये गए यंत्रों/मशीनों को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये नहीं बचेंगे।
10. हमारा समूह विगत 3 वर्षो से क्रियाशील है। यदि यंत्र बैंक का सफलतापूर्वक संचालन हमारे समूह द्वारा नहीं किया जाएगा तो सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि सूद सहित समानुपातिक रूप से समूह के सदस्यों द्वारा सरकार को वापस किया जाएगा। यदि समूह के सदस्यों द्वारा वापस नहीं किया गया तो सरकार प्रशासनिक एवं राशि वसुली की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर
सचिव

....................कृषक समूह
ग्राम ....
प्रखंड ....जिला..................

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

.......................कृषक समूह
ग्राम ....
प्रखंड .... जिला..........

गवाह (1) ....
गवाह (2) ....

रवीन्द्र कुमार वर्मा

अनुसूची–6

Custom Hiring Charges of CHC's Machines

Sr. No.	Name of Implements	CH Rate Rs/Hr.	CH Rate Rs/Ha
1	2	3	4
1	Tractor (35-40 HP) with Rotavator-5'	1002.00	2504.00
2	Only Rotavator 5'	128.00	–
3	Drum Seedar	55.00	138.00
4	Tractor with Paddy Transplanter	1155.00	–
5	Tractor with Wheat Threshar	1120.00	–
6	Tractor with Zero Till drill	664.00	1659.00
7	Zero Till drill	176.00	422.00
8	Rocker Sprayer	49.00	204.00
9	Tractor (55-60 HP) Lasar Land Leveler	1856.00	–
10	Only Laser Land Leveler	903.00	–
11	Rotavator-7' with Tractor	1079.00	1798.00
12	Only Rotavator-7'	136.00	–
13	Tractor with Cultivator (11 Tyne)	969.00	–
14	Cultivator (11 Tyne)	16.00	–
15	Tractor with M.B Plough or Disc Plough	1206.00	1350.00
16	M.B Plough or Disc Plough	255.00	708.00
17	Tractor with Sugarcane Cutter Planter	1366.00	4140.00
18	Sugarcane Cutter Planter	357.00	1082.00
19	Reaper cum Binder (Self Propeled)	1385.00	3463.00
20	Paddy Thresher	367.00	–
21	Wheat Threshar	332.00	–
22	Tractor with Potato Planter	1253.00	5220.00
23	Potato Planter	244.00	1017.00
24	Winnower	17.00	–
25	Tractor with Potato Digger	1253.00	3481.00
26	Potato Digger	244.00	678.00
27	Power Weeder	584.00	–
28	Knapsack Sprayer	39.00	–
29	Pumpset	99.00	–
30	Tractor drawn Reaper	90.00	–
31	Roto cultivator	136.00	–
32	Tractor trailor	120.00	–
33	Mist Blower cum Duster	90.00	–

रवीन्द्र कुमार वर्मा

440

Sr. No.	Name of Implements	CH Rate Rs/Hr.	CH Rate Rs/Ha
1	2	3	4
34	Self propelled Reaper	1385.00	3463.00
35	Wire loop type thresher	20.00	–
36	Power paddy Weeder	100.00	–
37	Tractor with paddy seed drill	664.00	1659.00
38	Battery operated knapsack sprayer	39.00	–
39	Scrapper Leveler	15.00	–
40	Tractor& Ridger	1206.00	3350.00
41	Tractor with Bed former –cum- Reshaper	1206.00	3350.00
42	Dibbler manually operated	5.00	–
43	Improved manually operated weeder	5.00	–
44	Tractor Maize planter	664.00	–
45	Maize thresher	275.00	–
46	Maize dehusker -cum- sheller	350.00	–
47	Seed -cum- fertilizer Dibbler	6.00	–
48	Foot sprayer	41.00	–
49	Combine Harvester	900.00	–
50	Power weeder(geer drive)with spraying attachment	110.00	–
51	Tractor with Straw Combine	650.00	–

Note – CH Rates are prepared in consultation with CAE, RAU, Pusa, Bihar & may vary from 10 to 15% depending on the Local Conditions.

रवीन्द्र कुमार वर्मा

(1)
25-3-2015